

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
**लोक सभा**  
**तारांकित प्रश्न सं. \*342**  
जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

**हरित राजमार्ग नीति**

\*342 श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में राज्यवार तथा विशेषतः प्रकाशम जिले सहित आंध्र प्रदेश में जिले हरित राजमार्ग नीति के तहत प्रस्तावित, निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यशील परियोजनाएं क्या हैं;

(ख) हरित राजमार्ग नीति के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित किए गए और कितने राष्ट्रीय राजमार्ग अभी सम्मिलित किया जाना है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में देश भर में हरित राजमार्ग नीति के फलस्वरूप राज्यवार तथा विशेषतः प्रकाशम जिले सहित आंध्र प्रदेश में जिलावार रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए;

(घ) पिछले पांच वर्षों में देश भर में हरित राजमार्ग नीति के कार्यान्वयन के लिए घटकवार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई और

(ङ) क्या सरकार ने देश में हरित राजमार्गों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रसार कार्यक्रमलाप / अभियान आरम्भ किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री  
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

**“हरित राजमार्ग नीति” के संबंध में श्री मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*342 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) आईआरसी:एसपी:21-2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वार्षिक वृक्षारोपण कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर पेड़दार मार्ग (एवेन्यू) और मध्य मार्ग (मीडियन) वृक्षारोपण किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 322.68 लाख पौधे लगाए गए हैं। राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 में संलग्न हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रकाशम जिले सहित जिला-वार और परियोजना-वार ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है।

(ख) हरित राजमार्ग नीति-2015 के अनुसार, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को हरित बनाने के लिए शुरू किया गया है। अब तक 62,660 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का काम शुरू किया गया है।

(ग) जबकि, सृजित रोजगार अवसरों की सटीक संख्या परियोजनाओं के दायरे और पैमाने के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, हरित राजमार्ग नीति से वृक्षारोपण, नर्सरी विकास, रखरखाव और संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं। ये अवसर मुख्य रूप से ग्रामीण समुदायों को लाभान्वित करते हैं, जिनमें एसएचजी, एनआरएलएम और एसआरएलएम के माध्यम से जुड़ी महिलाएं और वंचित समूह शामिल हैं, इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। पिछले पांच वर्षों में 322.68 लाख पौधे लगाए गए जिससे 323 लाख (लगभग) कार्य दिवस रोजगार सृजित हुए।

(घ) हरित राजमार्ग नीति 2015 में सभी राजमार्ग परियोजनाओं में हरित घटक को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। परिणामस्वरूप, निधि की आवश्यकता को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और रियायत समझौतों (सीए) में एकीकृत किया गया है, जिससे इस उद्देश्य के लिए अलग से निधि आवंटन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। जहां भी इसका उल्लेख सीए के दायरे में नहीं किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) प्रक्रिया के अनुसार सरकारी विभागों या निजी एजेंसियों को काम सौंपता है। 2018 से 2024 तक ऐसे सरकारी विभागों/निजी एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों पर किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

| 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (नवंबर 2024 तक) |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 6.68    | 52.34   | 95.7    | 101.33  | 102     | 105     | 80                      |

(ड.) वर्ष 2024-25 के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों के अलावा, 17 सितंबर 2024 को पूरे देश में अभियान मोड पर "एक पेड़ माँ के नाम" वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस दिन देश भर में 21,773 व्यक्तियों की भागीदारी के साथ 1,58,762 पौधे लगाए गए। इसके अलावा, भूखंडों, शहरों में ट्रैफिक आइलैंड्स, रोटरी और फ्लाईओवर के नीचे वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिससे राजमार्गों को हरा-भरा बनाने के बारे में जागरूकता लाने में मदद मिलती है।

‘हरित राजमार्ग नीति’ के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासूलू रेड्डी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 342 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| क्र. सं. | राज्य/संघराज्य क्षेत्र | 2020-21 में वृक्षारोपण<br>(एवेन्यू में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में) | 2021-22 में वृक्षारोपण<br>(एवेन्यू में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में) | 2022-23 में वृक्षारोपण<br>(एवेन्यू में पौधों की संख्या और औसत वृक्षारोपण लाख में) | 2023-24 में पौधारोपण<br>(एवेन्यू में पौधों की संख्या और औसत पौधारोपण लाख में) | 2024-25 में पौधारोपण<br>(30 नवंबर 2024 तक)<br>(एवेन्यू और मीडियन में पौधों की संख्या लाख में)) |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | आंध्र प्रदेश           | 3.01                                                                              | 1.67                                                                              | 1.58                                                                              | 1.14                                                                          | 2.11                                                                                           |
| 2        | असम                    | 2.46                                                                              | 1.73                                                                              | 0.93                                                                              | 2.74                                                                          | 1.27                                                                                           |
| 3        | बिहार                  | 0.72                                                                              | 2.03                                                                              | 2.12                                                                              | 2.38                                                                          | 3.46                                                                                           |
| 4        | छत्तीसगढ़              | 1.18                                                                              | 1.02                                                                              | 1.33                                                                              | 1.17                                                                          | 1.01                                                                                           |
| 5        | दिल्ली                 | 2.13                                                                              | 9.50                                                                              | 3.44                                                                              | 3.60                                                                          | 8.95                                                                                           |
| 6        | गुजरात                 | 2.78                                                                              | 2.38                                                                              | 4.51                                                                              | 3.69                                                                          | 5.14                                                                                           |
| 7        | हरियाणा                | 2.52                                                                              | 1.59                                                                              | 2.19                                                                              | 2.98                                                                          | 5.59                                                                                           |
| 8        | हिमाचल प्रदेश          | 0.68                                                                              | 0.71                                                                              | 0.82                                                                              | 0.32                                                                          | 0.61                                                                                           |
| 9        | जम्मू और कश्मीर        | 0.18                                                                              | 0.42                                                                              | 0.87                                                                              | 0.87                                                                          | 0.92                                                                                           |
| 10       | झारखंड                 | 1.16                                                                              | 2.53                                                                              | 1.07                                                                              | 0.92                                                                          | 1.01                                                                                           |
| 11       | कर्नाटक                | 3.51                                                                              | 3.73                                                                              | 2.86                                                                              | 2.23                                                                          | 2.79                                                                                           |
| 12       | केरल                   | 0.33                                                                              | 0.24                                                                              | 0.16                                                                              | 0.18                                                                          | 0.04                                                                                           |
| 13       | मध्य प्रदेश            | 3.94                                                                              | 5.77                                                                              | 10.18                                                                             | 7.04                                                                          | 8.49                                                                                           |
| 14       | महाराष्ट्र             | 4.22                                                                              | 7.97                                                                              | 6.04                                                                              | 5.25                                                                          | 3.98                                                                                           |

|    |                                    |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                             |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | ओडिशा                              | 2.90                                                                                           | 3.78                                                                                           | 3.40                                                                                           | 2.68                                                                                           | 2.53                                                                                        |
| 16 | पंजाब                              | 4.81                                                                                           | 2.96                                                                                           | 2.45                                                                                           | 2.33                                                                                           | 4.36                                                                                        |
| 17 | राजस्थान                           | 4.79                                                                                           | 9.45                                                                                           | 12.46                                                                                          | 8.10                                                                                           | 4.19                                                                                        |
| 18 | तमिलनाडु                           | 2.86                                                                                           | 2.47                                                                                           | 2.55                                                                                           | 2.62                                                                                           | 3.41                                                                                        |
| 19 | तेलंगाना                           | 3.27                                                                                           | 2.18                                                                                           | 2.74                                                                                           | 0.74                                                                                           | 0.63                                                                                        |
| 20 | उत्तर प्रदेश                       | 6.31                                                                                           | 5.41                                                                                           | 6.27                                                                                           | 4.81                                                                                           | 3.31                                                                                        |
| 21 | उत्तराखंड                          | 2.10                                                                                           | 2.12                                                                                           | 1.23                                                                                           | 0.56                                                                                           | 0.37                                                                                        |
| 22 | पश्चिम बंगाल                       | 3.04                                                                                           | 2.38                                                                                           | 2.37                                                                                           | 1.87                                                                                           | 1.10                                                                                        |
| 23 | मणिपुर                             | 0.11                                                                                           | 0.06                                                                                           | 0.03                                                                                           | 0.02                                                                                           | 0.078                                                                                       |
| 24 | नगालैंड                            | -                                                                                              | 0.03                                                                                           | 0.04                                                                                           | 0.03                                                                                           | 0.017                                                                                       |
| 25 | त्रिपुरा                           | 0.02                                                                                           | 0.04                                                                                           | 0.003                                                                                          | 0.06                                                                                           | 0.005                                                                                       |
| 26 | अंडमान और<br>निकोबार द्वीप<br>समूह | 0.005                                                                                          | 0.006                                                                                          | -                                                                                              | -                                                                                              | 0.006                                                                                       |
| 27 | अरुणाचल प्रदेश                     | 0.01                                                                                           | 0.013                                                                                          | 0.03                                                                                           | 0.02                                                                                           | -                                                                                           |
| 28 | मेघालय                             | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                              | 0.002                                                                                       |
| 29 | मिजोरम                             | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                              | 0.005                                                                                       |
| 30 | सिक्किम                            | -                                                                                              | -                                                                                              | 0.026                                                                                          | -                                                                                              | -                                                                                           |
| 31 | लद्दाख                             | एनएच-301 में सीमित<br>मार्गाधिकार के कारण<br>राजमार्ग पर कोई<br>वृक्षारोपण नहीं किया<br>गया है | एनएच-301 में सीमित<br>मार्गाधिकार के कारण<br>राजमार्ग पर कोई<br>वृक्षारोपण नहीं किया<br>गया है | एनएच-301 में सीमित<br>मार्गाधिकार के कारण<br>राजमार्ग पर कोई<br>वृक्षारोपण नहीं किया<br>गया है | एनएच-301 में सीमित<br>मार्गाधिकार के कारण<br>राजमार्ग पर कोई<br>वृक्षारोपण नहीं किया<br>गया है | एनएच-301 में सीमित<br>मार्गाधिकार के कारण राजमार्ग<br>पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया<br>गया है |

‘हरित राजमार्ग नीति’ के संबंध में श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 342 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| आंध्र प्रदेश में लगाए गएपौधों की संख्या का जिला-वार एवं परियोजना-वार विवरण |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                   |                                      |                                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र. सं.                                                                   | परियोजना के अंतर्गत आने वाले जिलों का नाम | परियोजना का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कुल पौधों की संख्या | जिले में लगाए गए पौधों की कुल संख्या | परियोजना की लंबाई | जिले में पड़नेवाली परियोजना की लंबाई | परियोजना का चरण (निर्माणाधीन/ एम) ओ एंड | मीडियन वृक्षारोपण/ एवेन्यू वृक्षारोपण या दोनों |
| 1                                                                          | अनकापल्ली                                 | हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-5 (नया एनएच-16) के आनंदपुरम-पेंडुर्थी-अनकापल्ली खंड को किमी <b>681.000</b> (मौजूदा किमी <b>681.000</b> ) से किमी <b>731.780</b> (मौजूदा किमी <b>742.400</b> ) (डिजाइन लंबाई = <b>50.78</b> किमी) तक छह लेन का बनाया जाना | <b>56,544</b>       | <b>20,940</b>                        | <b>50.78</b>      | <b>22.51</b>                         | ओ एंड एम                                | दोनों ओर                                       |
| 2                                                                          |                                           | अंकापल्ली - अन्नवरम ( तुनि ) किमी से। <b>741.255</b> से कि.मी. टीओटी बंडल -1 के तहत <b>830.525</b> - एन/02004/18003/एपी                                                                                                                                                                                   |                     | <b>35,604</b>                        | <b>89.27</b>      | <b>68.65</b>                         | ओ एंड एम                                | दोनों ओर                                       |
| 3                                                                          |                                           | कंटाकापल्ले - सब्बावरम खंड पर छह लेन का विकास [पैकेज-4 (एपी)]                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                      | <b>19.56</b>      | <b>4.73</b>                          | निर्माणाधीन                             | दोनों ओर                                       |
| 4                                                                          | अनंतपुर                                   | एनएच <b>44</b> के किमी <b>211.000</b> से किमी <b>462.164</b> तक हैदराबाद बेंगलोर खंड का प्रचालन और रखरखाव                                                                                                                                                                                                 | <b>17,896</b>       | <b>13,896</b>                        | <b>251.16</b>     | <b>83.00</b>                         | ओ एंड एम                                | मीडियन                                         |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |        |       |             |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 5  |           | 4 आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच (मूल) के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएच 44 के मौजूदा किमी 346.300 (डिजाइन चेनेज किमी 0.000) से अनंतपुर-मुचुकोटा खंड के किमी 39.380 (डिजाइन चेनेज किमी 37.000) तक एनएच 544डी को 4 लेन बनाना |         | 2,000  | 37.00  | 37.00 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 6  |           | आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएच 544डी के मुचुकोटा - बुग्गा खंड के मौजूदा किमी 39.380 (डिजाइन चै. 37.000) से किमी 74.450 (डिजाइन चै. 69.000) तक 4 लेन का निर्माण        |         | 2,000  | 32.00  | 32.00 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 7  | अन्नमय्या | एनएच-71 के मदनपल्ली - पिलेरू खंड को किमी 00.000 से किमी 55.900 तक एचएएम मोड पर चार लेन का बनाया जाना                                                                                                                           | 19,755  | 19,755 | 55.90  | 52.19 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 8  | बापतला    | एनएच-16 के चिलकलुरिपेट -विजयवाड़ा खंड को 6-लेन का बनाना                                                                                                                                                                        | 32,084  | 373    | 82.50  | 0.74  | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 9  |           | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच 16 पर चिलकालुरिपेट (1182.802) से नेल्लोर (1366.547) तक घटना प्रबंधन सहित प्रचालन और रखरखाव ।                                                                                                       |         | 31,711 | 183.75 | 50.00 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 10 |           | [एनएच-544जी] बीकेवी ईसी (पैकेज-14) के सोमवरप्पाडु (चै. 314+600) - मुप्पावरम (चै. 343.240) को 6 लेन का बनाना                                                                                                                    |         |        | 28.64  | 18.00 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 11 | चित्तूर   | ईपीसी पर आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा से नालागामपल्ली गांव तक एनएच-4 का पक्के कंधों के साथ चार लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन (डिजाइन लंबाई = 37.110 किमी)।                                                 | 128,766 | 11,448 | 37.11  | 37.11 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|           |                                                                                                                                                                                      |               |              |              |             |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| <b>12</b> | आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी पर नालागामपल्ली गांव से अल्लकुप्पम (एपी/केए सीमा) तक एनएच-4 का पक्के कंधों के साथ चार लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन (डिजाइन लंबाई = <b>47.687</b> किमी)। | <b>59,327</b> | <b>47.69</b> | <b>47.69</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| <b>१३</b> | एनएच-140 के चित्तूर -सी. मल्लावरम खंड को किमी <b>00.000</b> से किमी <b>61.128</b> तक छह लेन का बनाना                                                                                 | <b>24,930</b> | <b>61.13</b> | <b>37.00</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| <b>14</b> | बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे (चरण-II पैकेज- I) किमी <b>71.000</b> से किमी <b>96.000</b> तक (कर्नाटक राज्य में बेथमंगला से बायरेड्डीपल्ली तक ) एनई-7                                    | <b>7,581</b>  | <b>25.00</b> | <b>19.50</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>15</b> | बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे (चरण-II पैकेज- II) किमी <b>96.000</b> से किमी <b>127.000</b> तक ( बैरेड्डीपल्ले से बंगारुपलेम खंड)                                                        |               | <b>31.00</b> | <b>31.00</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>16</b> | बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे (चरण-II पैकेज- III) किमी <b>127.000</b> से किमी <b>156.000</b> तक ( बंगरुपलेम से गुडीपाला खंड)                                                            | <b>11,902</b> | <b>29.00</b> | <b>29.00</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>17</b> | एनएच-716बी के वरदराजुला से कुमारजापेट तक किमी <b>0.000</b> से किमी <b>43.800</b> तक 6 लेन ( पैकेज- I)                                                                                |               | <b>43.80</b> | <b>43.80</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>18</b> | कुमारजापेट से वीरा तक कावेरी राजा पुरम एनएच-716बी ( पैकेज- II) पर किमी <b>43.800</b> से किमी <b>61.380</b> तक 6 लेन                                                                  |               | <b>17.58</b> | <b>5.88</b>  | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>19</b> | वीरा एनएच 716बी के किमी <b>61.380</b> से किमी <b>96.040</b> तक कावेरी राजा पुरम से पोंडावक्कम तक 6 लेन ( पैकेज -III)                                                                 | <b>10,381</b> | <b>34.66</b> | <b>19.06</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>20</b> | एनएच-71 के मदनपल्ली - पिलेरू खंड को किमी <b>00.000</b> से किमी <b>55.900</b> तक एचएएम मोड पर चार लेन का बनाया जाना                                                                   | <b>1,404</b>  | <b>55.90</b> | <b>3.71</b>  | निर्माणाधीन | दोनों ओर |

|    |                |                                                                                                                                                            |        |        |       |       |             |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------------|----------|
| 21 |                | एनएच-71 के पिलेरु - कलूर खंड को किमी 55.900 से किमी 71.000 तक एचएएम मोड पर चार लेन का बनाया जाना                                                           |        | 1,793  | 18.10 | 6.73  | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 22 | पूर्वी गोदावरी | अन्नवरम - दीवानचेरुवु (किमी 830.525 से किमी 901.500) टीओटी बंडल -1 के तहत - एन/02004/19003/एपी                                                             | 54,296 | 5,389  | 70.98 | 11.00 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 23 |                | दीवानचेरुवु - सिद्धांतम किमी से। 901.500 से किमी 950.542 टीओटी बंडल के तहत - 1- एन/02004/20003/एपी                                                         |        | 21,039 | 49.04 | 25.40 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 24 |                | एनएच-16 के किमी 15.320 से किमी 85.204 तक गुंडुगोलानूदेवरापल्लीकोवुरु का 4 लेन - एन/03006/01001/एपी                                                         |        | 27,868 | 69.88 | 50.34 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 25 |                | खम्मम-देवरापल्लेपैकेज वी [4 लेन पहुंच नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) गुरवायगुडेम गांव से देवरापल्ले गांव तक (डिजाइन चेनेज 132+664 से 162+126) - एन/05011/03003/एपी |        |        | 29.46 | 9.83  | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 26 | एलुरु          | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के गुंडुगोलानु से कालापारु खंड तक मौजूदा 4-लेन सड़क को 6 - लेन का बनाना (पैकेज-I)                                           | 61,036 | 20,587 | 27.40 | 27.40 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 27 |                | एनएच-16 के कालापारु से चिन्ना अवुतुआपल्ली खंड तक मौजूदा 4 लेन सड़क को 6 लेन का बनाना , जिसमें 6 लेन वाला हनुमान जंक्शन बाईपास (पैकेज-II) भी शामिल है।      |        | 3,802  | 27.40 | 5.80  | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 28 |                | सिद्धांतम - गुंडुगोलानु किमी से। 950.942 से किमी 1022.494 टीओटी बंडल के तहत - 1- एन/02004/21002/एपी                                                        |        | 25,831 | 71.95 | 28.69 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 29 |                | एनएच-16 के किमी 15.320 से किमी 85.204 तक गुंडुगोलानूदेवरापल्लीकोवुरु का 4 लेन - एन/03006/01001/एपी                                                         |        | 10,816 | 69.88 | 19.54 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|    |          |                                                                                                                                                                    |        |        |        |       |             |          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 30 |          | खम्मम-देवरापल्ले पैकेज IV [4 लेन पहुंच नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) रेचरला गांव से गुरवायगुडेम गांव तक (डिजाइन चाय नगे 105+236 से 132+664)] - एन/05011/03002/एपी         |        |        | 27.43  | 27.43 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 31 |          | खम्मम-देवरापल्ले पैकेज-V [4 लेन पहुंच नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) गुरवायगुडेम गांव से देवरापल्ले गांव तक (डिजाइन चेनेज 132+664 से 162+126)] - एन/05011/03003/एपी        |        |        | 29.46  | 19.63 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 32 | गुंटूर   | एनएच-16 के चिलकलुरिपेट -विजयवाड़ा खंड को 6-लेन का बनाना                                                                                                            | 41,402 | 41,402 | 82.50  | 55.34 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 33 |          | एनएच-16 के गोलापुडी - चिन्नाकानानी खंड को 6-लेन का बनाना ( पैकेज.IV )                                                                                              |        |        | 17.88  | 15.86 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 34 | कडपा     | एनएचडीपी चरण- III के तहत बीओटी आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-18 के कुडप्पा - कुरनूल खंड के मौजूदा किमी 167.750 से किमी 356.502 तक 4 लेन का प्रचालन और रखरखाव | 59,894 | 59,894 | 188.75 | 56.61 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 35 | काकीनाडा | अंकापल्ली - अन्नवरम (तुनि) किमी से। 741.255 से कि.मी. टीओटी बंडल -1 के तहत 830.525 - एन/02004/18003/एपी                                                            | 60,565 | 10,697 | 89.27  | 20.63 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 36 |          | अन्नवरम - दीवानचेरुवु (किमी 830.525 से किमी 901.500) टीओटी बंडल -1 के तहत - एन/02004/19003/एपी                                                                     |        | 29,382 | 70.98  | 59.98 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 37 |          | एनएच-214 (नया एनएच-216) के किमी 0.000 से किमी 27.500 तक काठीपुडी से काकीनाडा बाईपास के शुरू होने तक 4 लेन - एन/08006/06001/एपी                                     |        | 20,486 | 27.50  | 27.50 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |       |             |          |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 38 |          | एनएच-16 ( राजनगरम जंक्शन) से काकीनाडा बंदरगाह कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में एनएच 516 एफ के समरलाकोटा से अचम्पेटा जंक्शन खंड किमी 0.000 से किमी 12.250 तक चार लेन राजमार्ग का निर्माण                                           |        |        | 12.25  | 12.25 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 39 | कोनासीमा | दीवानचेरुवु - सिद्धांतम किमी से 901.500 से किमी 950.542 टीओटी बंडल के तहत - 1- एन/02004/20003/एपी                                                                                                                                 | 19,583 | 19,583 | 49.04  | 23.64 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 40 | कृष्ण    | एनएच-16 के कालापारु से चिन्ना अवुतुआपल्ली खंड तक मौजूदा 4 लेन सड़क को 6 लेन का बनाना, जिसमें 6 लेन वाला हनुमान जंक्शन बाईपास (पैकेज-II) भी शामिल है।                                                                              | 82,520 | 12,386 | 27.40  | 21.60 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 41 |          | हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर भारतमालापरियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के विजयवाड़ा- गुंडुगोलानु खंड में चिन्नाअवुतुपल्ली (डिजाइन चै. 0+000) से गोलापुडी (डिजाइन चै. 30+000) तक विजयवाड़ा बाईपास की 6-लेन ( पैकेज - III) |        | 16,274 | 30.00  | 14.75 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 42 |          | एनएचडीपी चरण III के अंतर्गत ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-9 के विजयवाड़ा - मछलीपट्टनम खंड को किमी 0.000 से किमी 63.800 तक (लगभग लंबाई 64.611 किमी) 4 लेन का बनाया जाना                                                 |        | 53,860 | 64.61  | 62.61 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 44 | कुरनूल   | एनएच 44 के किमी 211.000 से किमी 462.164 तक हैदराबाद बेंगलोर खंड का प्रचालन और रखरखाव                                                                                                                                              | 47,470 | 6,278  | 251.16 | 41.50 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 45 |          | एनएचडीपी चरण- III के तहत बीओटी आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-18 के कुडप्पा - कुरनूल खंड के मौजूदा किमी 167.750 से किमी 356.502 तक 4 लेन का प्रचालन और रखरखाव                                                                |        | 34,692 | 188.75 | 33.50 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |       |             |          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------------|----------|
| 46 |         | एनएच (मूल) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में कुरनूल (एनएच -40 के मौजूदा किमी 5.400 / डिजाइन किमी 0.000) से मंडलेम (मौजूदा किमी 38.000 / डिजाइन किमी 30.600) (पैकेज -1) तक एनएच -340 सी का पुनर्स्थापन और उन्नयन , पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन (डिजाइन लंबाई = 30.600 किमी ) |         | 6,500   | 30.60  | 13.10 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 47 | नांदयाल | एनएच 44 के किमी 211.000 से किमी 462.164 तक हैदराबाद बेंगलोर खंड का प्रचालन और रखरखाव                                                                                                                                                                                  | 119,315 | 6,278   | 251.16 | 41.50 | ओ एंड एम    | मीडियन   |
| 48 |         | एनएचडीपी चरण- III के तहत बीओटी आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-18 के कडप्पा - कुरनूल खंड के मौजूदा किमी 167.750 से किमी 356.502 तक 4 लेन का प्रचालन और रखरखाव                                                                                                     |         | 103,537 | 188.75 | 98.64 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 49 |         | एनएच (मूल)के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में कुरनूल (एनएच -40 के मौजूदा किमी 5.400 / डिजाइन किमी 0.000) से मंडलेम (मौजूदा किमी 38.000 / डिजाइन किमी 30.600) (पैकेज -1) तक एनएच -340 सी का पुनर्स्थापन और उन्नयन , पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन (डिजाइन लंबाई = 30.600 किमी )  |         | 9,500   | 30.60  | 17.50 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 51 | नेल्लोर | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-67 के दोर्नाला टी-जंक्शन से नेल्लोर खंड पर 652.200 से 741.950 तक एवेन्यू प्लांटेशन कार्यों का उन्नयन और रखरखाव                                                                                                                            | 150,692 | 34,000  | 89.75  | 89.75 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 52 |         | एनएच-16 के किमी 1366.547 से किमी 1383.713 तक नेल्लोर बाईपास खंड का घटना प्रबंधन सहित प्रचालन और रखरखाव                                                                                                                                                                |         | 11,485  | 17.17  | 17.17 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |       |             |          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 53 |        | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच 16 पर चिलकालुरिपेट (1182.802) से नेल्लोर (1366.547) तक घटना प्रबंधन सहित प्रचालन और रखरखाव ।                                                                                                                       |        | 93,257 | 183.75 | 84.00 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 54 |        | ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में कि.मी.0+000 से कि.मी.18+000 तक कृष्णापट्टनम (पैकेज-I) तक समर्पित बंदरगाह सड़क के छह लेन का निर्माण                                                                                                         |        |        | 18.00  | 18.00 | निर्माणाधीन | एवेन्यू  |
| 55 |        | थम्मिनपट्टनम में कृष्णापट्टनम बंदरगाह के पास खंडालेरू क्रीक के उत्तर और दक्षिण औद्योगिक क्लस्टर को किमी 0.0 से किमी 16.046 तक मोल्लूर से जोड़ता है , भाग I और एनएच-67 के समर्पित बंदरगाह रोड का 6 लेन विस्तार (किमी 18.0 से किमी 19.3, भाग II) |        |        | 15.95  | 9.25  | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 56 |        | कावुलकुंटला (चै. 196+000) - नारायणमपेट (चै. 203+500) (एनएच-544जी) बीकेवी ईसी (पैकेज-09) की 6-लेन                                                                                                                                               |        |        | 7.50   | 7.50  | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 57 |        | नारायणपेट (चै.203+500) - चंद्रशेखरपुरम (चै. 228+000) का 6-लेन [एनएच-544जी] बीकेवी ईसी (पैकेज-10)                                                                                                                                               |        |        | 24.50  | 10.50 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 58 |        | 4 लेन टाडा - नेल्लोर किमी 52.800 से 163.600 तक (110.52 किमी )                                                                                                                                                                                  |        | 11,950 | 110.00 | 25.60 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 59 | एनटीआर | हाइब्रिड वार्षिकी मोड ( पैकेज -III) पर भारतमालापरि योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के विजयवाड़ा- गुंडुगोलानु खंड में चिन्नाअवुटपल्ली (डिजाइन चै. 0+000) से गोलापुडी (डिजाइन चै. 30+000) तक विजयवाड़ा बाईपास की 6-लेन।              | 48,925 | 17,395 | 30.00  | 15.25 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|    |                   |                                                                                                                                                                                          |        |        |        |       |             |          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 60 |                   | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-65 पर मौजूदा 2 लेन ( i ) नंदीगामा बाईपास को किमी 220.700 से किमी 227.760 तक और (ii) कांचीचेरला बाईपास को किमी 238.200 से किमी 245.760 तक 6 लेन का किया जाना। |        | 14,361 | 14.34  | 14.34 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 61 |                   | एनएचडीपी चरण III के अंतर्गत ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-9 के विजयवाड़ा - मछलीपट्टनम खंड को किमी 0.000 से किमी 63.800 तक (लगभग लंबाई 64.611 किमी) 4 लेन का बनाया जाना        |        | 310    | 64.61  | 2.00  | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 62 |                   | एनएच-30 के चंद्रगुडेम - एपी/टीजी सीमा खंड पर एवेन्यू प्लांटेशन का सघनीकरण (अग्रिम क्षेत्र तैयारी, रोपण और रखरखाव)                                                                        |        | 6,750  | 70.19  | 70.19 | ओ एंड एम    | एवेन्यू  |
| 63 |                   | एनएच-65 के नंदीगामा - इब्राहिमपट्टनम - विजयवाड़ा खंड पर एवेन्यू प्लांटेशन का सघनीकरण (अग्रिम क्षेत्र तैयारी, रोपण और रखरखाव)                                                             |        | 10,109 | 35.68  | 35.68 | ओ एंड एम    | एवेन्यू  |
| 66 |                   | एनएच-16 के चिलकलुरिपेट बाईपास को 6-लेन का बनाना                                                                                                                                          |        | 11,629 | 16.38  | 16.38 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 67 | पलनाडु            | एनएच-16 के चिलकलुरिपेट -विजयवाड़ा खंड को 6-लेन का बनाना                                                                                                                                  | 15,267 | 1,703  | 82.50  | 25.16 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 68 |                   | एनएच-544D के गिद्दलूर - विनुकोंडा खंड के साथ 2-लेन                                                                                                                                       |        | 1,935  | 112.80 | 15.95 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 69 | पार्वतीपुरम मन्यम | अलुरु - जक्कुवा खंड का छह लेन का विकास [पैकेज-1(एपी)]                                                                                                                                    | 0      |        | 31.77  | 19.10 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 70 | प्रकाशम           | नारायणपेट (चै.203+500) - चंद्रशेखरपुरम (चै.228+000) का 6-लेन [एनएच-544G] बीकेवी ईसी(पैकेज-10)                                                                                            | 37,643 |        | 24.50  | 14.00 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 71 |                   | एनएच-544D के गिद्दलूर - विनुकोंडा खंड के                                                                                                                                                 |        | 11,754 | 112.80 | 96.85 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | साथ <b>2-लेन</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>72</b> | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच- <b>565</b> के पेव्ड शोल्डर विन्यास के साथ दो लेन के मर्कापुरम से वग्गमपल्ली खंड के किमी <b>198.694</b> से किमी <b>294.000</b> तक परिचालन और रखरखाव। (डिजाइन चेनेज <b>198.694</b> से किमी <b>293.266</b> तक) |
| <b>73</b> | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच- <b>565</b> के पक्के कंधे विन्यास के साथ दो लेन के दावुलापल्ली से मरकापुरम खंड के किमी <b>154.900</b> से किमी <b>198.694</b> तक प्रचालन और रखरखाव। (डिजाइन चेनेज <b>153.939</b> से किमी <b>197.318</b> तक)   |
| <b>74</b> | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच <b>16</b> पर चिलकालुरिपेट ( <b>1182.802</b> ) से नेल्लोर ( <b>1366.547</b> ) तक घटना प्रबंधन सहित प्रचालन और रखरखाव                                                                                          |
| <b>75</b> | [एनएच- <b>544जी</b> ] बीकेवी ईसी (पैकेज- <b>11</b> ) के चन्द्रशेखरपुरम (चै. <b>228+000</b> ) - पोलावरम (चै. <b>260+000</b> ) को <b>6</b> लेन का बनाना                                                                                    |
| <b>76</b> | [एनएच- <b>544जी</b> ] बीकेवी ईसी (पैकेज- <b>12</b> ) की पोलावरम (सीएच. <b>260+000</b> ) - मरिपुडी (सीएच. <b>285+500</b> ) की <b>6-लेन</b> का बनाना                                                                                       |
| <b>77</b> | [एनएच <b>544जी</b> ] बीकेवी ईसी- (पैकेज- <b>13</b> ) के मरिपुडी (चै. <b>285+500</b> ) -सोमावरप्पाडु (चै. <b>314+600</b> ) का <b>6</b> लेन का निर्माण                                                                                     |
| <b>78</b> | [एनएच- <b>544जी</b> ] बीकेवी ईसी (पैकेज- <b>14</b> ) के सोमवरप्पाडु (चै. <b>314+600</b> ) - मुप्पावरम (चै. <b>343.240</b> ) को <b>6</b> लेन का बनाना।                                                                                    |

|               |               |              |             |          |
|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
|               |               |              |             |          |
|               | <b>94.57</b>  | <b>94.57</b> | ओ एंड एम    | एवेन्यू  |
|               | <b>43.38</b>  | <b>43.38</b> | ओ एंड एम    | एवेन्यू  |
| <b>25,889</b> | <b>183.75</b> | <b>56.00</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
|               | <b>32.00</b>  | <b>32.00</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
|               | <b>25.50</b>  | <b>25.50</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
|               | <b>29.10</b>  | <b>29.10</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
|               | <b>28.64</b>  | <b>10.64</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |        |           |             |          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|----------|
| 79 | श्री सत्य साई | एनएच 44 के किमी 211.000 से किमी 462.164 तक हैदराबाद बेंगलोर खंड का प्रचालन और रखरखाव                                                                                                                                                                                       | 21,793  | 21,793 | 251.16 | 85.16     | ओ एंड एम    | मीडियन   |
| 80 |               | कोडुर (चै. 0+000) से वनवोलु (चै. 24+300) तक 6L पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544G] (पैकेज-1)                                                                                                                                                                   |         |        | 24.30  | 24.3 किमी | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 81 |               | वनवोलु (चै. 24+300) से वंकाराकुंटा (चै. 45+700) तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-2)                                                                                                                                                        |         |        | 21.40  | 21.4 किमी | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 82 |               | वंकाराकुंटा (चै. 45+700) से ओडुलापल्ले (चै. 72+000) तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-3)                                                                                                                                                    |         |        | 26.30  | 26.3 किमी | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 83 |               | ओडुलापल्ले (चै. 72+000) से नल्लाचेरुवु-पल्ली (चै. 96+300) तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-4)                                                                                                                                              |         |        | 24.30  | 3.00      | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 84 | श्रीकाकुलम    | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के रणस्थलम - आनंदपुरम खंड को किमी 634.000 से किमी 681.000 (लंबाई 47 किमी) तक छह लेन का बनाया जाना एनएचडीपी चरण V के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।                                                | 129,807 | 10,564 | 47.00  | 9.00      | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 85 |               | एनएचडीपी चरण-V के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में डिजाइन किमी: 580.671 (मौजूदा किमी: 580.700) से डिजाइन किमी: 634.861 (मौजूदा लंबाई किमी: 634.000) (डिजाइन लंबाई = 54.19 किमी) तक एनएच -16 (पुराने एनएच -5) के नरसन्नापेटा - राणास्तलम खंड को छह लेन का |         | 33,727 | 54.19  | 54.19     | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |               |              |             |          |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
|           |         | बनाया जाएगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |               |              |             |          |
| <b>86</b> |         | टोल ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर <b>9</b> राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों ( <b>बंडल-1</b> ) को शामिल करने वाली परियोजनाएं – इच्छापुरम से नरसनपेटा (किमी <b>484.000</b> से <b>580.700</b> ) आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच- <b>16</b> का पैकेज संख्या <b>5</b>                                                                                                                                                                                                 |                | <b>85,516</b> | <b>96.70</b>  | <b>96.70</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| <b>87</b> | तिरुपति | <b>4</b> लेन टाडा - नेल्लोर किमी <b>52.800</b> से <b>163.600</b> तक ( <b>110.52</b> किमी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>117,326</b> | <b>55,544</b> | <b>110.00</b> | <b>85.20</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| <b>88</b> |         | <b>4/6</b> लेन टाडा - नेल्लोर (बाढ़ से क्षतिग्रस्त हिस्सों की स्थायी बहाली) किमी <b>83.35</b> से किमी <b>83.68</b> तक तथा किमी <b>136.91</b> से किमी <b>140.40</b> तक                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>2,115</b>  | <b>3.82</b>   | <b>3.82</b>  | ओ एंड एम    | मीडियन   |
| <b>89</b> |         | एनएच- <b>140</b> के चित्तूर -सी. मल्लावरम खंड को किमी <b>00.000</b> से किमी <b>61.128</b> तक छह लेन का बनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>16,262</b> | <b>61.13</b>  | <b>24.13</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| <b>90</b> |         | एनएच <b>716बी</b> के किमी <b>61.380</b> से किमी <b>96.040</b> तक वीरा कावेरी राजा पुरम से पोंडावक्कम तक (पैकेज - <b>III</b> ) <b>6</b> लेन का बनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>7,619</b>  | <b>34.66</b>  | <b>11.00</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>91</b> |         | भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत एचएएम मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में नए एनएच- <b>516</b> डब्ल्यू पर चिल्लाकुरु क्रॉस रोड से तुरपुकानुपुर (पैकेज- <b>II</b> का भाग <b>1</b> ) किमी <b>0.000</b> (एनएच- <b>16</b> का <b>131.500</b> ) से किमी <b>23.770</b> तक चार लेन का नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग का निर्माण, जिसमें एनएच- <b>16</b> पर छह लेन का फ्लाईओवर और पहुंच मार्ग (लंबाई किमी <b>1.050</b> ) तथा तुरपुकानुपुर से पोर्ट साउथ |                |               | <b>36.07</b>  | <b>36.07</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |              |              |             |          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------|
|           |              | गेट ( पैकेज- II का भाग 2) किमी <b>23.770</b> से किमी <b>35.015</b> तक छह लेन का नियंत्रित प्रवेश मार्ग शामिल है।                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |             |          |
| <b>92</b> |              | थम्मिनपट्टनम में कृष्णापट्टनम बंदरगाह के पास खंडालेरू क्रीक के उत्तर और दक्षिण औद्योगिक क्लस्टर को किमी <b>0.0</b> से किमी <b>16.046</b> तक मोल्लूर से जोड़ता है , भाग I और एनएच-67 के समर्पित बंदरगाह रोड का <b>6</b> लेन विस्तार (किमी <b>18.0</b> से किमी <b>19.3</b> , भाग II) |               | <b>15.95</b>  | <b>6.70</b>  | निर्माणाधीन  | दोनों ओर    |          |
| <b>93</b> |              | आंध्र प्रदेश राज्य में नायडूपेटा जंक्शन - तुरपुकनुपुर खंड पर किमी <b>57.046</b> से किमी <b>91.927</b> तक भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत एचएएम पर छह लेन का निर्माण                                                                                                      |               | <b>34.88</b>  | <b>34.88</b> | निर्माणाधीन  | दोनों ओर    |          |
| <b>94</b> |              | एचएएम मोड पर एनएच-71 के रेनीगुंटा - नायडूपेटा खंड को किमी <b>00.000</b> से किमी <b>57.046</b> तक छह लेन का बनाया जाना                                                                                                                                                              |               | <b>32,759</b> | <b>57.05</b> | <b>57.05</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>95</b> |              | एचएएम मोड पर एनएच-71 के पिलेरू - कलूर खंड को किमी <b>55.900</b> से किमी <b>71.000</b> तक चार लेन का बनाया जाना                                                                                                                                                                     |               | <b>3,027</b>  | <b>18.10</b> | <b>11.37</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| <b>96</b> | विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के रणस्थलम - आनंदपुरम खंड को किमी <b>634.000</b> से किमी <b>681.000</b> (लंबाई <b>47</b> किमी) तक छह लेन का बनाया जाना एनएचडीपी चरण <b>V</b> के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के रूप में                                                    | <b>34,864</b> | <b>8,569</b>  | <b>47.00</b> | <b>7.30</b>  | ओ एंड एम    | दोनों ओर |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |              |              |             |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------|
|     |              | क्रियान्वित किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |              |              |             |          |
| 97  |              | हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-5 (नया एनएच-16) के आनंदपुरम-पेंडुर्थी-अनकापल्ली खंड को किमी <b>681.000</b> (मौजूदा किमी <b>681.000</b> ) से किमी <b>731.780</b> (मौजूदा किमी <b>742.400</b> ) (डिजाइन लंबाई = <b>50.78</b> किमी) तक छह लेन का बनाया जाना |                 | <b>26,295</b> | <b>50.78</b> | <b>28.27</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 101 | विजयनगर<br>म | आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के रणस्थलम - आनंदपुरम खंड को किमी <b>634.000</b> से किमी <b>681.000</b> (लंबाई <b>47</b> किमी) तक छह लेन का बनाया जाना एनएचडीपी चरण <b>V</b> के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा                                                     | <b>112, 442</b> | <b>36,037</b> | <b>47.00</b> | <b>30.70</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 102 |              | कोरलाम - कंटाकापल्ले खंड का छह लेन का विकास [पैकेज-3 (एपी)]                                                                                                                                                                                                                                               |                 | <b>35,561</b> | <b>24.00</b> | <b>24.00</b> | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 103 |              | अलुरु - जक्कुवा खंड का छह लेन का विकास [पैकेज-1(एपी)]                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | <b>4,572</b>  | <b>31.77</b> | <b>12.67</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 104 |              | जक्कुवा - कोरलाम खंड पर छह लेन का विकास [पैकेज-2 (एपी)]                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>25,272</b> | <b>24.30</b> | <b>24.30</b> | निर्माणाधीन | दोनों ओर |

|     |                 |                                                                                                                                     |        |        |       |       |             |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------------|----------|
| 105 |                 | कंटाकापल्ले - सब्बावरम खंड पर छह लेन का विकास [पैकेज-4 (एपी)]                                                                       |        | 11,000 | 19.56 | 14.83 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 106 | पश्चिमी गोदावरी | सिद्धांतम - गुंडुगोलानु किमी से। 950.942 से किमी 1022.494 टीओटी बंडल के तहत - 1- एन/02004/21002/एपी                                 | 38,955 | 38,955 | 71.95 | 43.26 | ओ एंड एम    | दोनों ओर |
| 107 | वाईएसआर जिला    | ओडुलापल्ले (चै. 72+000) से नल्लाचेरुवु-पल्ली (चै. 96+300) तक 6L पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544G](पैकेज-4)            | 0      |        | 24.30 | 21.30 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 108 |                 | नल्लाचेरुवुपल्ली (चै. 96+300) से येरागुडीपाडु (चै. 129+000) तक [एनएच-544जी] (पैकेज-5) तक 6 लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग |        |        | 32.70 | 32.70 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 109 |                 | येरागुडीपाडु (चै. 129+000) से औडिरेड्डीपल्ले (चै. 160+000) तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे [एनएच - 544जी] (पैकेज-6)       |        |        | 31.00 | 31.00 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 110 |                 | औडिरेड्डीपल्ले (चै. 160+000) से मल्लापल्ले (चै. 176+000) तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे (पैकेज-07)                       |        |        | 16.00 | 16.00 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 111 |                 | मल्लापल्ले (चै. 176+000) से कावुलाकुंटला (चै. 196+000) तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-08)                      |        |        | 20.00 | 20.00 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |
| 112 |                 | 4 लेन पीएस म्यदुकुर - बाडवेल एनएच-67 पर किमी 585.820 से किमी 630.960 तक बनाना                                                       |        |        | 45.14 | 45.14 | निर्माणाधीन | दोनों ओर |

\*\*\*\*\*